न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 50/2023
सपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 27/2023
सपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 26/2023

राजस्थान सरकार जरिये योगेश कुमार मिश्रा, प्रवर्तन निरीक्षक, अजमेर
.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री मनीष कुमार जैथलिया पुत्र श्री ओमप्रकाश जैथलिया, खोडा माता इण्डस्ट्रीयल एरिया उदयपुर कला, तहसील किशनगढ
2. श्रीमती चन्द्रकांता जैथलिया पत्नी श्री ओमप्रकाश जैथलिया
3. फर्म भारत पैट्रो इण्डस्ट्रीज उदयपुर कला, तहसील किशनगढ पुलिस थाना किशनगढ शहर
4. गौरव जैथलिया पुत्र श्री ओमप्रकाश जैथलिया निवासी आजाद नगर, संजय स्कूल के पास मदनगंज किशनगढ ।

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित :–
श्री नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी पेरोकार सरकार
श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा अभिभाषक अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

आदेश

दिनांक– 26.03.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 4 अजमेर (राजस्थान) के फौजदारी अपील संख्या 375/2023 गौरव पुत्र ओमप्रकाश जैथलिया व फौजदारी अपील संख्या 395/2023 श्रीमती चन्द्राकांता जैथलिया व अन्य बनाम राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक अजमेर व जिला रसद अधिकारी अजमेर में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2023 इस आश्य से प्राप्त हुआ कि अपीलार्थीगण गौरव व श्रीमती चन्द्रकांता जेथलिया, मैसर्स भारत पेट्रो इण्डस्ट्रीज जरिये मालिक/प्रोपराईटर श्रीमती चन्द्रकांता की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 375/2023 व 395/2023 जो न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर द्वारा मुकदमा संख्या 50/2023 बउनवान सरकार बनाम मनीष कुमार जैथलिया व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 19.07.2023 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है, स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश दिनांकित 19.07.2023 को अपास्त किया जाता है एवं पत्रावली पुनः विद्वान जिला कलक्टर उक्त आदेश से प्रभावित हुए बिना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के सबंध में सभी सबंधित पक्षकार को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए शीघ्रातिशीघ्र पुनः विधिनुसार आदेश पारित करे। उक्त पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कि जाकर अप्रार्थीगण की और से श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा अभिभाषक उपस्थित आये। सुनवाई चाहने पर उभय पक्ष को सुना गया ।

जिला कलक्टर,
अजमेर

पेरोकार सरकार ने प्रा.पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 23.02.2023 को खसरा नम्बर 02, प्लॉट नं0 3 ए, खोडा माता इण्डस्ट्रीयल एरिया उदयपुर कला तहसील किशनगढ पर पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध व्यवसाय की सूचना पर जिला रसद अधिकारी अजमेर मय प्रवर्तन अधिकारी पहुँचें। मौके पर मनीष जैथलिया पुत्र श्री ओमप्रकाश जैथलिया के उपस्थित थे, तथा उक्त स्थान पर संचालित फर्म भारत पैट्रो इण्डस्ट्रीज होकर प्रोपराइटर उनकी माता श्रीमती चन्द्रकान्ता जैथलिया, निवासी जैथलिया भवन आजाद नगर, किशनगढ होना बताया गया तथा स्वयं मनीष द्वारा उक्त फर्म का स्वयं द्वारा संचालन करना बताया गया। फर्म परिसर की जांच करने पर पाया कि पैट्रोलियम एवं ल्यूबिकेन्ट ऑयल पदार्थ की प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है जिसमें रॉ मैटेरियल स्टोरेज टैंक, हीटिग बेसल टैंक, सैटलिग टैंक, टैंक एवं फिनिश प्रोडेक्ट टैंक प्रोपर सेटअप के साथ एक दूसरे से जुडे होकर संचालित है। श्री मनीष द्वारा अवगत कराया कि उनके फर्म द्वारा विभिन्न प्रकार के यूज्ड ऑयल विभिन्न फर्मो से खरीद की जाती है जिन्हे इस यूनिट पर प्रोसेसिंग, ब्लेन्डिंग कर उसमें ग्रीस ऑयल व अन्य ऑयल मिश्रण कर लयूब्रिकेटिंग ऑयल एवं ग्रीस ऑयल तैयार किया जाता है जिसे विभिन्न फर्मो को विक्रय किया जाता है। वक्त जांच श्री मनीष से ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल एवं ग्रीस प्रोसेसिंग, भण्डारण, सप्लाई/व्यापार, रीरिफाइंनिग मैन्यू फैक्चरिंग, ब्लेन्डिंग के कार्य/व्यवसाय से सबंधित अनुज्ञा पत्र/अनुमति पत्र मांगा गया तो उनके द्वारा फर्म के पास अनुज्ञा पत्र नहीं होना तथा बिना अनुज्ञा पत्र के ही ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल व ग्रीस की रीरिफाइनिंग प्रोसेसिंग, मैन्यूफैक्चरिग, ब्लेन्डिग करना पाया। तथा प्रार्थना पत्र में खरीद बिल एवं फर्म द्वारा प्रस्तुत विक्रय बिल व फर्म भारत पेट्रो इण्डस्ट्रीज द्वारा फ्यूल ऑयल की ट्रेडिंग करना पाया। वक्त जांच फर्म परिसर में लगे हुए फिक्स तीन फिनिश प्रोडक्ट टैंको की जांच करने पर उनमें एक टैंक खाली पाया गया तथा दो टैंको में क्रमश 12000 लीटर तथा 6500 लीटर प्रोसेस्ड किया हुआ ऑयल भरा पाया गया, जिसे मनीष ने ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होना बताया जो बिक्री के लिए तैयार पाया। वक्त जांच फर्म परिसर में ही 20 लोहे के ड्रमों में 4200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा पाया, जिसकी मौके पर सेल्स ऑफिसर (पेट्रोल) आईओसीएल श्री धर्मेन्द्र कुमार द्वारा डेनसिटी व अन्य तरीको से परीक्षण कर जानकारी दी गई कि ड्रमों में भरा यह पेट्रोलियम पदार्थ डीजल समकक्ष है, जिसका वाहनों में ईधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। वक्त जांच मौके पर फिक्सड फिनिश प्रॉडक्ट टैंको से तीन सैम्पल लिए गए एवं लोहे के ड्रमों में भरे पदार्थ का कम्पोजिट सैम्पल तैयार कर तीन सैम्पल निर्धारित प्रकिया अनुसार लिए गए। वक्त जांच फर्म परिसर में एक टैंकर रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे.01 जी.ए. 1060 खडा पाया, जो खाली है जिस पर Hazardous waste carrier अंकित होना पाया, जो फर्म के लिए ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की खरीद–बिक्री के परिवहन में प्रयुक्त किया जाता है जिसका स्वामित्व श्री ओम प्रकाश जैथलिया के नाम होना अवगत कराया है। वक्त जांच वाहन की आर.सी उपलब्ध नहीं होना बताया। फर्म परिसर में अन्य कोई औघोगिक इकाई/विनिर्माण इकाई संचालित नहीं है, जिसमें परिसर में पाये गए पदार्थ का उपयोग किया जा सके। फर्म के पास पेट्रोलियम पदार्थ के व्यवसाय, उपयोग एवं भण्डारण के सबंध में वाछित जिला कलक्टर अनापत्ति व विस्फोटक नियंत्रक विभाग का अनुज्ञा पत्र जारी नहीं होना पाया गया। फर्म के पास लयूब आयॅल की ग्रेडिग व गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशाला लैब नहीं होना पाया गया। संचालक द्वारा अनुमान से ही विभिन्न ऑयल पदार्थ का मिश्रण कर नया ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल बनाकर नया HSN code नम्बर अंकित

जिला कलक्टर,
अजमेर

करना पाया गया। इस प्रकार फर्म पर पाये गए सैटअप एवं पाये गए दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया प्रमाणित हुआ कि बिना वैध अनुज्ञा पत्र/अनुमति पत्र के फर्म द्वारा बडे पैमाने पर ल्यूब्रिकेटिंग आयॅल व ग्रीस व फयूल ऑयल का व्यवसाय भण्डारण, विनिर्माण, रिफाइनिंग, ब्लेण्डिंग, ट्रेडिग की जा रही है, जो कि स्नेहक तेल और ग्रीस (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 1987 एवं मोटर स्प्रिट एवं उच्च वेग डीजल आदेश 2005 व अन्य पेट्रोलियम आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन किया पाये जाने पर फर्म प्रतिनिध श्री मनीष से 22700 लीटर ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल व पेट्रोलियम पदार्थ मय 20 लोहे के ड्रम, टैंकर रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे.01.जी ए 1060 को राजहित में कब्जेराज लिया जाकर पुलिस थाना किशनगढ शहर को सुरक्षार्थ सुपुर्दगी में दिया गया। वरवक्त जांच वाहन टेंकर संख्या RJ-01-GA-1060 का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र श्री ओमप्रकाश जैथलिया द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध नहीं कराना पाया गया जिससे इस्तगासे/प्रार्थना पत्र में श्री गौरव जैथलिया का नाम दर्ज नहीं हो सका। जहां तक श्री मनीष कुमार जैथलिया फर्म का अधिकृत प्रतिनिधि है या नहीं के सम्बन्ध में मौका फर्द पर प्रत्येक पृष्ठ पर श्री मनीष जैथलिया के हस्ताक्षर के साथ फर्म की अधिकारिक मुहर भी लगी हुई हैं। यदि वह अधिकृत प्रतिनिधि नहीं है तो किस हैसियत से वह फर्म के समस्त पत्रादि मौके पर जांच हेतु उपलब्ध करवाता रहा? उल्लेखनीय है कि श्री मनीष ने स्वयं के द्वारा फर्म का संचालन करना बताया गया। विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर की एफ.एस.रिपोर्ट से भी पेट्रोलियम पदार्थ होना सिद्ध होता। एफ.एस.रिपोर्ट के अनुसार नमूना भी क्लास ए. बी. सी. तीनो में मैच नहीं होना पाया गया जिससे यह सिद्ध होता है कि उसमें मिलावट की गई हैं। वक्त जांच एक खरीद बिल विक्रेता मैसर्स भवानी ऑयल एजेन्सी जी 1–204 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया सिलोरा किशनगढ का Billed to bharat petro Industries के नाम जारी पाया, जिसका बिल क्रमांक 36 दिनांक 03.01.2023 उत्पाद Process oil HSN/SAC Code 2710 मात्रा 12000 लीटर दर 60/– रूपये प्रति लीटर अंकित पाया, जिसके बारे में खरीद की पुष्टि मौके पर श्री मनीष ने की है। इस सबंध में फर्म मैसर्स भवानी ऑयल एजेन्सी का अवैध पेट्रोलियम व्यवसाय में लिप्त पाये जाने पर दिनांक 14.02.2023 को विभाग द्वारा कार्यवाही की गई। फिनिश प्रोडक्ट टैंको में गेज लगा हुआ पाया, जिससे उसमें लयूब ऑयल की मात्रा का मापन किया, जिसका जब्त कर परिसर में खडे खाली टैंकर आर.जे.01 जी ए 1060 में स्टॉक को ट्रान्सफर करवाया, जिसकी मात्रा 12000 लीटर है, शेष फिनिश टैंको से निकाली गई मात्रा 6500 लीटर को खाली लोहे के ड्रम 28 मंगवाकर के उनमें ट्रांसफर करवाया गया जिन्हे पुलिस थाना किशनगढ शहर को सुपुर्दगी में दिया गया वक्त जांच मौक पर परिसर का नक्शा बनाया गया। फर्म के पास पेट्रोलियम पदार्थ के व्यवसाय, उपयोग एवं भण्डारण के सबंध में वांछित जिला रसद अधिकारी द्वारा अनापत्ति व विस्फोटक नियंत्रक विभाग का अनुज्ञा पत्र जारी नहीं होना पाया गया। जहां तक अप्रार्थीया ने लाईसेंस हेतु स्नेहक तेल पुनर्परिष्करण प्रारूप 1 खण्ड 5 (1) के क्रम में जिला रसद अधिकारी अजमेर के समक्ष आवेदन किया गया था उसके सम्बन्ध में पत्र क्रमांक/रसद/2021–22/ 13214 दिनांक 27.09.2021 के द्वारा अप्राथियां को जांच कर यह अवगत कराया कि "अप्रार्थी द्वारा निर्मित माल किस नाम (ब्रांड) से पैकिंग में बेचा जायेगा का उल्लेख नही किए जाने से न ही पैकेजिंग लाईसेन्स लिया गया है।" अतः नियमानुसार अनुज्ञप्ति जारी नही की जाने बाबत सूचित किया गया। इस प्रकार श्री मनीष जैथलिया एवं श्रीमती चन्द्रकांता जैथलिया एवं फर्म भारत पैट्रो इण्डस्ट्रीज उदयपुर कलां द्वारा स्नेहक तेल/ग्रीस आदेश 1987 एवं MS & HSD order 2005 का स्पष्ट उल्लंघन है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य ई. सी एक्ट 1955

जिला कलक्टर,
अजमेर

3/7, 3/8, 3/10 के तहत एक दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा 22700 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एक टैकर रजि संख्या आर.जे.01 जी ए 1060 एवं लोहे के 20 ड्रम व अन्य सामान को राजसात करने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी 1 जरिये अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि वक्त जांच मौके पर जवाबकर्ता उपस्थित नहीं था। बाद कार्यवाही फोन करके मौके पर बुलाया गया था। जांच कर्ता का उपरोक्त फर्म से कोई सबंध सरोकार नहीं है और ना ही जवाबकर्ता द्वारा फर्म का संचालन स्वयं के द्वारा करना बताया, ना ही मौके पर फर्म का अधिकृति प्रतिनिधी होकर कोई जॉच फर्म की कारवाई। क्योकि उक्त फर्म चन्द्रकान्ता जैथलया निवासी जैथलिया भवन आजाद नगर, किशनगढ ही उक्त फर्म की प्रोपराईटर/मालिक है। जवाबकर्ता से जॉचकर्ता ने इन्डस्ट्री से सबंधित लयूब्रिकेटिग ऑयल एवं ग्रीस प्रोसेसिंग भण्डारण सप्लाई/व्यापार, रिरिफाईनिंग मैन्यूफैक्चरिग, ब्लेन्डिग के कार्य/व्यवसाय से सबंधित अनुज्ञा पत्र नही मांगा और ना ही फर्म के पास अनुज्ञा पत्र नहीं होने बाबत बताना तथा ना ही बिना वैध अनुज्ञा पत्र के ही ल्यूब्रिकेटिग ऑयल व ग्रीस प्रोसेसिंग भण्डारण सप्लाई/व्यापार, रिरिफाईनिंग मैन्यूफैक्चरिंग, ब्लेन्डिग करना बताया। वक्त जॉच जवाबकर्ता ने फर्म के व्यवसाय से सबंधित बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किये और ना ही यूज ऑयल खरीदना बताया, ना ही विभिन्न फर्मो से विक्रय करना बताया। फर्म से सबंधित जो प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 में खरीद से सबंधित बिल वाउचर के सबंध में जवाबकर्ता को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। जवाबकर्ता के सामने जांच अधिकारी फर्म परिसर में लगे हुए फिक्स तीन फिनिश प्रोडेक्टस टैंको की कोई जॉच की गई और ना ही दो टैंको से क्रमशः 12000 लीटर तथा 6500 लीटर प्रोसेस्ड किया हुआ ऑयल भरा पाया, ना ही जॉचकर्ता को जवाबकर्ता ने ल्यूब्रिकेटिग ऑयल होना बताया जो बिक्री के लिए तैयार होना बताया। जवाबकर्ता को मात्र दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हेतु घर से बुलाया गया। वक्त जॉच मौके पर फिक्स फिनिश प्रोडेक्ट टैंको से तीन सैम्पल लेने व लोहे के ड्रमों से भरे पदार्थ का कम्पोजिट सेम्पल तैयार कर तीन सेम्पल लिये जाने का कोई ज्ञान है और ना ही जवाबकर्ता के समक्ष इस प्रकार की कोई सेम्पल जॉच अधिकारी ने नहीं लिए। जॉच अधिकारी ने जवाबकर्ता को घर से बुलाकर सेम्पल पर मात्र हस्ताक्षर करवाये थे। ट्रेकर फैक्ट्री से सबंधित नहीं है। जवाबकर्ता ना तो फर्म का प्रोपराईटर/मालिक है और ना ही फर्म का कोई वैध अधिकृत प्रतिनिधी है, ना ही जवाबकर्ता उक्त फैक्ट्री में कार्यरत है। जवाबकर्ता ने दस्तावेजो एवं सेम्पल पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट रूप से जॉच अधिकारी को इंकार कर दिया परन्तु जॉचकर्ता ने दबाव बनाकर जवाबकर्ता के हस्ताक्षर उसकी इच्छा के विरूद्ध करवाये। वक्त जॉच एक खरीद बिल विक्रेता मैसर्स भवानी ऑयल एजेन्सी इन्डस्ट्री एरिया सिलोरा किशनगढ का बिल भारत पेट्रो इण्डस्ट्री के नाम जारी होना बताया, ना ही बिल क्रमांक 36 दिनांक 03.01.2023 मात्रा 12000 लीटर दर 60 रूपये प्रति लीटर अंकित होने के सबंध में कोई जानकारी है, ना ही जवाबकर्ता ने मौके पर खरीद की पुष्टि की। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही में हस्ताक्षेन नही है व प्रार्थी के विरूद्ध जो नियमानुसार कार्यवाही चल रही है उसको निरस्त करावे।

अप्रार्थी 2 व 3 जरिये अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थीया स्वयं ही उपरोक्त फर्म का संचालन

जिला कलक्टर,
अजमेर

करती है। प्रार्थीया का कोई भी फर्म का अधिकृत प्रतिनिधी नहीं है। प्रार्थीया द्वारा विधि के अनुसार ही उपरोक्त फर्म का व्यापार व्यवसाय किया जाता है। फर्म इण्डस्ट्रीज का प्रदूषण लाईसेंस, पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड जयपुर द्वारा जारी किया गया है। प्रार्थीया की फर्म से सबंधित जीएसटी, सीएसटी नम्बर भी विधि के अनुसार लिये गये है और औधोगिक रजिस्ट्रेशन बैक अकाउन्ट द्वारा किया गया है। फर्म द्वारा खरीद बिक्री भी ई ऑक्सन द्वारा की जाती है। प्रार्थीया का पुत्र मनीष उक्त फैक्ट्री का कोई वैध अधिकृत प्रतिनिधी नहीं है और ना ही प्रार्थीया का पुत्र उक्त इण्डस्ट्री में कार्यरत है। ना ही प्रार्थीया के पुत्र को इण्डस्ट्री के व्यापार से सबंधित कोई जानकारी है। प्रार्थीया ने परिवर्तन निदेशक अधिकारी अजमेर के समक्ष इण्डस्ट्री का लाईसेंस विधि सम्मत प्राप्त करने हेतु दिनांक 02.09.2020 व दिनांक 10.03.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है। फर्म से सबंधित बिल बाउचर प्रार्थीया की फर्म के ऑफिस में ही रखे होते है। उन बिल बाउचरो को मेरे पुत्र मनीष द्वारा जॉच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। जॉच के वक्त जवाबकर्ता को कोई भी सूचना प्रदान नहीं की गई थी कि उसकी फैक्ट्री की कोई जॉच की जा रही है। प्रार्थीया जॉच दिवस को किशनगढ से बाहर होने के कारण उसकी अनुपस्थिति में व उसके वैध अधिकृत प्रतिनिधी की अनुपस्थिति में जो भी कार्यवाही की गई वह विधि सम्मत नही है। प्रार्थीया की इण्डस्ट्री में कई दिनों से टैंकर रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे. 01 जी.ए 1060 खडा किया हुआ था जो खाली था। उक्त टेंकर फर्म से सबंधित नहीं था ना ही उक्त टैंकर का उपयोग खरीद ब्रिकी के परिवहन में प्रयुक्त किया जाता है। ना ही उक्त टैंकर का स्वामित्व प्रार्थीया के पति श्री ओमप्रकाश जैथलिया के नाम है। पैट्रोलियम एक्ट 1934 में जो पैट्रोलिया की परिभाषा धारा 2 में परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार पैट्रोलियम को तीन क्लोज (क्लास) में विभाजित किया गया। क्लोज एक में 0 से 23 डिग्री तक तथा क्लोज बी में 24 से 65 डिग्री व क्लाज 3 में 66 से 93 डिग्री तक परिभाषित किया है। प्रार्थी का जब्त माल 93 डिग्री से अधिक डिग्री का हैवी ऑयल है इस कारण पैट्रोलियम एक्ट की श्रेणी में नहीं आता है। इस कारण लाईसेंस की आवश्कता नहीं है। प्रार्थीया की इण्डस्ट्री में जो रॉ–मटेरियल काम में लिया जाता है वह यूज्ड ऑयल/बर्ण ऑयल/स्क्रेब ऑयल को रिप्रोसेसिंग कर प्रोसेस ऑयल व फ्यूल ऑयल इण्डस्ट्री में बनाया जाता है। इस कारण इन प्रोडेक्टस का प्लेस पाईन्टर 93 डिग्री से अधिक होने के कारण उपरोक्त इण्डस्ट्री में पी.ई.एस.ओ एक्ट के तहत विस्फोटक अधिनियम के अन्तर्गत कोई वैध लाईसेंस का लिया जाना आवश्यक नहीं है। प्रार्थीया विधि के अनुसार ही उपरोक्त फर्म का व्यापार व्यवसाय किया जाता है। उपरोक्त फर्म इण्डस्ट्रीज का प्रदूषण लाईसेंस, पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड जयपुर द्वारा जारी किया गया है। प्रार्थीया की फर्म से सबंधित जीएसटी, सीएसटी नम्बर भी विधि के अनुसार लिये गये है और औधोगिक रजिस्ट्रेशन भी करा रखा है। फर्म का सभी ट्रांसजेक्शन बैंक अकाउन्ट द्वारा किया गया है। फर्म द्वारा खरीद बिक्री भी ई ऑक्सन द्वारा की जाती है। प्रार्थीया की फर्म में अविधि पूर्ण कार्यवाही कर प्रार्थीया का माल जब्त किया गया है। इस कारण प्रार्थीया उक्त माल को सुपुदर्गीनामें पर दिलवाये जाने हेतु निवेदन करती है। प्रार्थीया के द्वारा एक प्रार्थना पत्र सुपुदर्गीनामा प्रस्तुत कर जब्तशुदा 22700 लीटर सुपुदर्गीनामें पर प्राप्त करने की वैध रूप से अधिकारिणी है।

अप्रार्थी 4 जरिये अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी टैंकर वाहन संख्या आर.जे.01 जी.ए 1060 का स्वामी है। मूल परिवाद में प्रवर्तन निरीक्षक अथवा जिला रसद अधिकारी ने प्रार्थी को पक्षकार

कलक्टर,
अजमेर

नही बनाया ना ही प्रार्थी वाहन स्वामी को सुना गया और आदेश पारित करते हुए प्रार्थी का वाहन उसे बिना सुनवाई का अवसर दिए राजसात करने का आदेश पारित किया जो विधि विरूद्व होने से अपील न्यायालय द्वारा अपास्त किया गया है एवं प्रार्थी को सुनवाई का अवसर देकर पुनः सभी तथ्यों परिस्थितियों और न्यायिक प्रावधानों के तहत निर्णय करने का आदेश दिया है अप्रार्थी वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी उपस्थित नही था। प्रार्थी को तो बाद कार्यवाही फोन करके मौके पर बुलाया गया था, जांचकर्ता का उपरोक्त फर्म से कोई सबंध सरोकार नही है और ना ही अप्रार्थी द्वारा फर्म का संचालन स्वयं के द्वारा किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जांच में किसी को भी कुछ भी फर्म के बारे में अवगत नही कराया गया है। उक्त फर्म से सबंधित कार्यो की जानकारी है। उक्त जब्तशुद्वा टैकर आरजे 01 जीए 1060 अप्रार्थी की सम्पत्ति है एवं अप्रार्थी पंजीकृत स्वामी है जिसका उक्त फर्म से कोई सबंध नही है, ना ही उक्त टैकर फर्म के लिए ल्यूब्रिकेटिग ऑयल के बिकी के परिवहन में प्रयुक्त किया जाता है। जब्त वाहन से किसी प्रकार का पदार्थ/ऑयल/लुब्रीकेट ना तो जब्त किया ना ही भरा हुआ था, खाली टैकर खडा ाि परिवादी ने स्वयं की जब्ती और परिवाद में स्वीकार किया है कि वाहन खाली खडा था। इस प्रकार वाहन के के अन्दर आवश्यक वस्तु अधिनियम का किसी प्रकार का आर्टिकल बरामद नही हुआ है। प्रार्थी वाहन टैकर संख्या आर.जे. 01 जीए 1060 का पंजीकृत स्वामी है, एवं उक्त वाहन जब्त करते समय वाहन के अन्दर से किसी प्रकार का आवश्यक वस्तु अधिनियम का पदार्थ अथवा वस्तु ना तो जब्त की गई ना ही बरामद की गई है। मौके की कार्यवाही में स्वयं परिवादी द्वारा यह अंकित किया गया है कि वाहन खाली खडा था। अप्रार्थी वाहन स्वामी अथवा वाहन का चालक ना तो मौके पर उपस्थित था ना ही कार्यवाही के समय किसी को बुलाया गया जबकि उनको भलीभांति जानकारी थी कि वाहन का स्वामी अप्रार्थी गौरव है। इतना ही अप्रार्थी अथवा वाहन के सबंध में किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नही है। इस प्रकार उस समय उक्त टैकर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि अथवा अवैध संचालन में प्रयुक्त नही किया जा रहा था केवल खाली खडे वाहन को अपनी सुविधा के लिए जिला रसद अधिकारी की टीम द्वारा जब्त किया गया है । जब्तशुदा वाहन खराब होने व नष्ट होने के श्रेणी में आता है एवं लम्बे समय तक जब्त रहने से उसके नष्ट होने की प्रबल संभावना है एवं उक्त वाहन अप्रार्थी की आजीविका का साधन है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्तों एवं मानीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार यदि धारा 3/7, 8, 10 में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है तो जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्द किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी का जब्तशुद्वा वाहन टैकर आर.जे. 01 जी ए 1060 प्रार्थी को सुपुर्द किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टांत 2015 CRI. L.J. (NOC) 16 (CHH.) उनवान Mukesh Hariani Vs. State of Chhattisgarh Dated 13.12.2023, (2017) 4 CriLR 1860 H. Rajasthan High Court Case उनवान अरविन्द स्वामी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के निर्णय दिनांक 24.10.2017, माननीय उच्चतम न्यायालय का उनवानी प्रकरण Gov. Of A.P. And Others Vs V. Ranga Rao and another Decided on 09-02-2005, Rajasthan High Court Case उनवान Pep Singh And Another Vs. State of Rajasthan Decided on 10.04.1989, Rajasthan High Court (Jaipur Bench) का प्रकरण उनवान Dhedhia Traders Vs. State of Rajasthan Decided on 30.01.1995 पेश किये।

जिला कलक्टर
अजमेर

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि पूर्व में हाजा न्यायालय का उपरोक्त उनवानी प्रकरण सं0 50/2023 उनवान सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक बनाम श्री मनीष कुमार जैथलिया व अन्य में दिनांक 19.07.2023 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय को "माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 4 अजमेर (राजस्थान) के फौजदारी अपील संख्या 375/2023 एवं 395/2023 में निर्णय दिनांक 01.12.2023 को पारित कर पत्रावली पुनः अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि जिला कलक्टर उक्त आदेश से प्रभावित हुए बिना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के संबंध में सभी संबंधित पक्षकार को समुचित सुनवाई का अवसर देते हुए शीघ्रातिशीघ्र पुनः विधिनुसार आदेश पारित करें।" उक्त की पालना में अप्रार्थीगण की पुनः समुचित सुनवाई की गई। अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 23.02.2023 को खसरा नम्बर 02, प्लॉट नं0 3 ए, खोडा माता इण्डस्ट्रीयल एरिया उदयपुर कला तहसील किशनगढ पर पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध व्यवसाय की सूचना पर जिला रसद अधिकारी अजमेर मय प्रवर्तन अधिकारी पहुँचें। वरवक्त जांच पैट्रोलियम एवं ल्यूबिकेन्ट ऑयल पदार्थ की प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है जिसमें रॉ मैटेरियल स्टोरेज टैंक, हीटिंग बेसल टैंक, सैटलिग टैक, टैंक एवं फिनिश प्रोडेक्ट टैंक प्रोपर सेटअप के साथ एक दूसरे से जुडे होकर संचालित है। फर्म द्वारा विभिन्न प्रकार के यूज्ड ऑयल विभिन्न फर्मो से खरीद की जाती है जिन्हे इस यूनिट पर प्रोसेसिंग, ब्लेन्डिंग कर उसमें ग्रीस ऑयल व अन्य ऑयल मिश्रण कर लयूब्रिकेटिंग ऑयल एवं ग्रीस ऑयल तैयार किया जाता है जिसे विभिन्न फर्मो को विक्रय किया जाता है। वरवक्त जांच श्री मनीष से ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल एवं ग्रीस प्रोसेसिंग, भण्डारण, सप्लाई/व्यापार, रिरिफाइंनिग मैन्यू फैक्चरिंग, ब्लेन्डिंग के कार्य/व्यवसाय से सबंधित अनुज्ञा पत्र/अनुमति पत्र मांगा गया तो उनके द्वारा फर्म के पास अनुज्ञा पत्र नहीं होना तथा बिना अनुज्ञा पत्र के ही ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल व ग्रीस की रिरिफाइनिंग प्रोसेसिंग, मैन्यूफैक्चरिग, ब्लेन्डिग करना पाया। वरवक्त जांच फर्म परिसर में लगे हुए फिक्स तीन फिनिश प्रोडक्ट टैंको की जांच करने पर उनमें एक टैंक खाली पाया गया तथा दो टैंको में क्रमश 12000 लीटर तथा 6500 लीटर प्रोसेस्ड किया हुआ ऑयल भरा पाया गया, जिसे मनीष ने ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल होना बताया जो बिक्री के लिए तैयार पाया। वरवक्त जांच फर्म परिसर में ही 20 लोहे के ड्रमों में 4200 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा पाया, जिसकी मौके पर सेल्स ऑफिसर (पेट्रोल) आई.ओ.सी.एल. श्री धर्मेन्द्र कुमार द्वारा डेनसिटी व अन्य तरीको से परीक्षण कर जानकारी दी गई कि ड्रमों में भरा यह पेट्रोलियम पदार्थ डीजल समकक्ष है, जिसका वाहनों में ईधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। वरवक्त जांच फर्म परिसर में एक टैंकर रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे.01 जी.ए. 1060 खडा पाया, जो खाली है जिस पर Hazardous waste carrier अंकित होना पाया, जो फर्म के लिए ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल की खरीद–बिक्री के परिवहन में प्रयुक्त किया जाता है, फर्म के पास पेट्रोलियम पदार्थ के व्यवसाय, उपयोग एवं भण्डारण के सबंध में वांछित जिला रसद अधिकारी द्वारा अनापत्ति व विस्फोटक नियंत्रक विभाग का अनुज्ञा पत्र जारी नहीं होना पाया गया। साथ ही जिला रसद अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक/रसद/2021–22/13214 दिनांक 27.09.2021 के द्वारा अप्रार्थीया को स्नेहक तेल पुनर्परिष्करण प्रारूप 1 खण्ड 5 (1) के क्रम में आवेदन किया गया था जिसकी जॉच में अप्रार्थी द्वारा निर्मित माल किस नाम (ब्रांड) से पैकिंग में बेचा जायेगा का उल्लेख नही किए जाने से पैकेजिंग लाईसेन्स नहीं लिया गया है। अतः नियमानुसार अनुज्ञप्ति जारी नही की जाने बाबत सूचित किया गया। इस सम्बन्ध में पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत भारत राजपत्र सं. 622

जिला कलक्टर,
अजमेर

दिनांक 26 अक्टूबर 2021 पेश किया जिसमें यह टंकित हैं कि कोई व्यक्ति इस आदेश के अधीन उसे प्रदत्त विधिमान्य अनुज्ञप्ति की निबंधों और शर्तो के अधीन और उसके अनुसरण के सिवाय प्रस्संकर्ता का कारोबार नहीं करेगा। यदि अन्य विभागों की 18 एन. ओ.सी. फर्म द्वारा ली गई है तो वह इस प्रकरण के औचित्य पर लागू नहीं हो सकती। अतः दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया प्रमाणित हुआ कि बिना वैध अनुज्ञा पत्र/अनुमति पत्र के फर्म द्वारा बडे पैमाने पर ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल व ग्रीस व फ्यूल ऑयल का व्यवसाय भण्डारण, विनिर्माण, रिफाइनिंग, ब्लेण्डिंग, ट्रेडिंग की जा रही है, जो कि स्नेहक तेल और ग्रीस (प्रसंस्करण, प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 1987 एवं मोटर स्प्रिट एवं उच्च वेग डीजल आदेश 2005 व अन्य पेट्रोलियम आदेशों का स्पष्ट उल्लंघन किया पाये जाने पर फर्म प्रतिनिध श्री मनीष से 22700 लीटर ल्यूबिकेटिंग ऑयल व पेट्रोलियम पदार्थ मय 20 लोहे के ड्रम, टैंकर रजिस्ट्रेशन संख्या आर.जे.01. जी ए 1060 को राजहित में कब्जेराज लिया जाकर पुलिस थाना किशनगढ शहर को सुरक्षार्थ सुपुर्दगी में दिया गया। वरवक्त जांच वाहन टेंकर संख्या RJ-01-GA-1060 का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र श्री ओमप्रकाश जैथलिया द्वारा प्रार्थी को उपलब्ध नहीं कराना पाया गया जिससे इस्तगासे/प्रार्थना पत्र में श्री गौरव जैथलिया का नाम दर्ज नहीं हो सका। साथ ही फर्द मौका व जब्ती अनुसार श्री मनीष कुमार जैथलिया द्वारा उक्त फर्म का स्वयं संचालन करना स्वीकार किया हैं। मौका फर्द पर प्रत्येक पृष्ठ पर श्री मनीष जैथलिया के हस्ताक्षर के साथ फर्म की अधिकारिक मुहर भी लगी हुई हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर की एफ.एस.रिपोर्ट से भी पेट्रोलियम पदार्थ होना सिद्ध होता। एफ.एस.रिपोर्ट के अनुसार नमूना भी क्लास ए. बी. सी. तीनो में मैच नहीं होना पाया गया जिससे यह सिद्ध होता है कि उसमें मिलावट की गई हैं। इसमें मिलावट नहीं की गई ऐसा सिद्ध करने का दायित्व स्वयं फर्म के ऊपर आरोपित होता है तथा उसे ही सिद्ध करना होता हैं। इस प्रकार श्री मनीष जैथलिया एवं श्रीमती चन्द्रकांता जैथलिया एवं फर्म भारत पैट्रो इण्डस्ट्रीज उदयपुर कलां तहसील किशनगढ़ एवं श्री गौरव जैथलिया द्वारा स्नेहक तेल/ग्रीस आदेश 1987 एवं MS & HSD order 2005 का स्पष्ट उल्लंघन है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य ई सी एक्ट 1955 3/7, 3/8, 3/10 के तहत एक दण्डनीय अपराध है। चूंकि अप्रार्थीगण द्वारा ऐसे कोई आधारभूत कथन, दस्तावेजी साक्ष्य, सबूत के पेश नहीं किये गये है, जो प्रार्थना पत्र कथनों का खण्डन करते। अतः प्रकरण स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामग्री 22700 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं लोहे के 20 ड्रम के राजसात करने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थी ने वाहन टैंकर सुपुर्दगीनामा पर देने के सबंध में वाहन टैकर नं0 आर.जे.01 जी.ए 1060 को अवैध पेट्रोलियम पदार्थ कारोबार के परिवहन के उपयोग में लाये जाने कारण वाहन टैकर नं0 आर.जे.01 जी.ए 1060 के अधिहरण के आदेश दिये जाते है इसी कम में न्यायहित में वाहन मालिक को वाहन के अधिहरण के बदले में प्रवहन के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनधिक जुर्माने के संदाय करने का भी विकल्प दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी अजमेर को जब्त वाहन टैकर नं0 आर.जे.01 जी. ए 1060 को इस शर्त पर प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिये जाने के आदेश दिये जाते है कि यदि प्रार्थी उक्त वाहन के बीमा दस्तावेज में अंकित वाहन की कीमत के बराबर राशि का जुर्माना राजकोष में जमा कराकर रसीद एवं वाहन का स्वामी होने के प्रमाण के मूल अथवा प्रमाणित दस्तावेज जिला रसद अधिकारी अजमेर के समक्ष प्रस्तुत करे तो वाहन प्रार्थी को सुपुर्दगी में दिया जावें। राशि जमा नहीं कराने की दशा में वाहन का नियमानुसार विधि द्वारा सुस्थापित प्रकियानुसार जर्ये निलामी निस्तारण किया जावे। 22700 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ एवं लोहे के 20 ड्रम जिला रसद अधिकारी अजमेर नियमानुसार निस्तारण

जिला कलक्टर,
अजमेर

की कार्यवाही करें और निस्तारण से प्राप्त राशि राजकोष में जमा करावें। आरोपित शास्ति राशि जमा कराने पर वाहन टैकर नं0 आर.जे.01 जी.ए 1060 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद जांच सम्बन्धित को सुपुर्द करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26.03.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर, अजमेर।